संख्या–809 / सेक–5–पॉच–2017

प्रेषक,

वी0हेकाली झिमोमी
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5 लखनऊ :दिनांक 08 जून, 2017

विशयः–स्टेट आउटब्रेक रिपोर्टिंग सिस्टम (सोर्स) साफ्टवेयर के संचालन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।

महोदय,

प्रदेश में संक्रामक रोगों की रिपोर्टिंग, निगरानी एवं किसी भी प्रकार के आउटब्रेक होने की स्थिति में उसकी रोकथाम हेतु त्वरित कार्यवाही करने तथा आउटब्रेक होने का कारण ज्ञात करने आदि के कार्यों का सम्पादन करने हेतु प्रत्येक जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन इन्टीग्रेटेड डिजीज सर्विलेन्स प्रोग्राम (आई0डी0एस0पी0) के अन्तर्गत जिला सर्विलेन्स इकाई स्थापित एवं क्रियाशील है।

2– वर्तमान समय में संक्रामक रोग जैसे–डेंगू, स्वाईन फ्लू, हीट स्ट्रोक आदि रोगों के प्रकोप को न्यून करना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है, जिस हेतु आई0डी0एस0पी0 पोर्टल के अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा संक्रामक रोगों के रियल टाईम डाटा हेतु स्टेट आउटब्रेक रिपोर्टिंग सिस्टम (सोर्स) साफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसके संचालन हेतु राज्य स्तर पर 18 से 20 अप्रैल, 2017 के मध्य आवश्यक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित कर आई0डी0एस0पी0 के अन्तर्गत तैनात जिला डाटा मैनेजर एवं जिला डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

3– आउटब्रेक की स्थिति मे रियल टाइम डाटा हेतु उसी दिन आई0डी0एस0पी0 पोर्टल व स्टेट आउटब्रेक रिपोर्टिंग सिस्टम (सोर्स) पर आउटब्रेक रिपोर्टिंग एवं रोगियों की लाइन लिस्ट भी अनिवार्य रुप से सोर्स पोर्टल पर ही अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाये। आउटब्रेक प्रारम्भ होने पर पर्याप्त अवधि तक प्रभावित क्षेत्र में रैपिड रिस्पॉस टीम (आर0आर0टी0) द्वारा भ्रमण किया जायेगा, जिसमे एपिडेमियोलॉजिस्ट, पैथोलाजिस्ट / प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ / फिजीशियन आवश्यकतानुसार सम्मिलित होंगे, परन्तु जिला इपिडेमियोलॉजिस्ट अनिवार्य रुप से आर0आर0टी टीम में सम्मिलित रहेंगे।

4– किसी भी आउटब्रेक में भ्रमण के दौरान जिला इपिडेमियोलॉजिस्ट द्वारा इन्डेक्स केस, प्राइमरी व सेकण्डरी केस ज्ञात करना एवं प्रभावित क्षेत्र का Longitude, Latitude भी ज्ञात करना तथा प्रतिदिन के आधार पर रोगियों की लाइनलिस्ट (जो कि भ्रमण के दौरान एपिडेमियोलॉजिस्ट द्वारा सम्पूर्ण सूचनाओं सहित हाऊस–टू–हाऊस, एक्टिव केस सर्च में शामिल हेल्थ वर्कर के सहयोग से एकत्र की जायेगी) जो कि सोर्स पोर्टल पर अपडेट / अपलोड की जायेगी।प्रत्येक आउटब्रेक में कुल रोगियों के न्यूनतम 10 प्रतिशत के नमूने प्रयोगशाला पुष्टि हेतु लेना अनिवार्य है।

5– जिला इपिडेमियोलॉजिस्ट द्वारा उपलब्ध कराई गई लाईन लिस्ट की इन्ट्री सोर्स पोर्टल पर ऑन–लाईन आई0डी0एस0पी0 के अन्तर्गत तैनात जिला डाटा इन्ट्री ऑपरेटर द्वारा जिला डाटा मैनेजर की निगरानी में किया जायेगा तथा सोर्स पोर्टल पर अपलोड की जाने वाली समस्त सूचनाओं का उत्तरदायित्व जिला डाटा मैनेजर का होगा।

6– अन्तिम रोगी के रोग प्रारम्भ होने की तिथि से रोग के 02 उद्भवन काल (इन्क्यूबेशन अवधि) के बाद ही आउटब्रेक समाप्त कर, सोर्स पोर्टल पर एपिडेमियोलॉजिकल एनालिसिस सहित (Closing Report) आउटब्रेक समाप्ति (Close)की रिपोर्ट की जायेगी।

7– दैनिक रुप में उक्त समस्त कार्यों का अनुश्रवण जिला सर्विलेन्स अधिकारी, आई0डी0एस0पी0 द्वारा किया जायेगा तथा समस्त कार्यों की सूचना दैनिक रुप से मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

sandeep_com1

8– सोर्स पोर्टल एक सार्वजनिक पोर्टल है, कोई भी नागरिक इस पोर्टल से संक्रामक रोगों की सूचना प्राप्त कर सकता है, इस हेतु जनसामान्य को किसी भी आई0डी0/पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होगी। पोर्टल पर आउटब्रेक दर्शाने के बाद आउटब्रेक न ही हटाया जा सकेगा और न ही जनपद स्तर से बदला जा सकेगा।

9– अतः अतिसावधानी पूर्वक सूचनायें एकत्र कर समीक्षा के उपरान्त ही अपलोड की जायें। संक्रामक रोग एवं आउटब्रेक के रोग का नाम बदलने का अधिकार राज्य सर्विलेन्स इकाई, आई0डी0एस0पी0 के पास सुरक्षित रहेगा। सम्बन्धित आउटब्रेक का नाम बदलने हेतु राज्य सर्विलेन्स इकाई, आई0डी0एस0पी0 को अनुरोध करना होगा एवं सम्बन्धित समस्त तथ्यों को स्पष्ट करने तथा अपनी एपिडेमियोलॉजिकल रिपोर्ट में रोग के नाम बदलने का आधार स्पष्ट करना होगा।

10– जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक में आई0डी0एस0पी0 पोर्टल पर रिपोर्ट किये हुये आउटब्रेक एवं रिपोर्टिंग की स्थिति की भी समीक्षा की जाये (सरकारी एवं निजी दोनों की)।

11– मण्डलीय अपर निदेशक,चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,स्तर से भी उक्त कार्यक्रम की समीक्षा नियमित रुप से की जायेगी। जनपदों में होने वाले किसी भी आउटब्रेक की रिपोर्टिंग मात्र आई0डी0एस0पी0 एवं सोर्स से ही की जायेगी, अन्य किसी भी स्रोत से आउटब्रेक की रिपोर्टिंग मान्य नहीं होगी।

12– आई0डी0एस0पी0 कार्यक्रम में तैनात जिला इपिडेमियोलॉजिस्ट, जिला डाटा मैनेजर एवं जिला डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य कार्यक्रम में नहीं लगाया जायेगा और न ही कहीं सम्बद्ध किया जायेगा।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(वी0 हेकाली झिझोमी)
सचिव।

संख्या– (1)/पॉच–5–2017 तददिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उ0प्र0।
4. अपर परियोजना निदेशक, यू0पी0एच0एस0एस0पी0, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान, इन्दिरा नगर लखनऊ।
5. निदेशक, प्रशिक्षण, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान, इन्दिरा नगर लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
7. अपर निदेशक, मलेरिया/वी0बी0डी0, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. समस्त जिला सर्विलेन्स अधिकारी, आई0डी0एस0पी0, उ0प्र0।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वी0 हेकाली झिझोमी)
सचिव।

sandeep_com1

संख्या–809 / सेक–5–पॉच–2017

प्रेषक,

वी0हेकाली झिमोमी
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5

लखनऊ :दिनांक 08 जून, 2017

विशयः–स्टेट आउटब्रेक रिपोर्टिंग सिस्टम (सोर्स) साफ्टवेयर के संचालन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।

महोदय,

प्रदेश में संक्रामक रोगों की रिपोर्टिंग, निगरानी एवं किसी भी प्रकार के आउटब्रेक होने की स्थिति में उसकी रोकथाम हेतु त्वरित कार्यवाही करने तथा आउटब्रेक होने का कारण ज्ञात करने आदि के कार्यों का सम्पादन करने हेतु प्रत्येक जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन इन्टीग्रेटेड डिजीज सर्विलेन्स प्रोग्राम (आई0डी0एस0पी0) के अन्तर्गत जिला सर्विलेन्स इकाई स्थापित एवं क्रियाशील है।

2– वर्तमान समय में संक्रामक रोग जैसे–डेंगू, स्वाईन फ्लू, हीट स्ट्रोक आदि रोगों के प्रकोप को न्यून करना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है, जिस हेतु आई0डी0एस0पी0 पोर्टल के अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा संक्रामक रोगों के रियल टाईम डाटा हेतु स्टेट आउटब्रेक रिपोर्टिंग सिस्टम (सोर्स) साफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसके संचालन हेतु राज्य स्तर पर 18 से 20 अप्रैल, 2017 के मध्य आवश्यक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित कर आई0डी0एस0पी0 के अन्तर्गत तैनात जिला डाटा मैनेजर एवं जिला डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

3– आउटब्रेक की स्थिति मे रियल टाइम डाटा हेतु उसी दिन आई0डी0एस0पी0 पोर्टल व स्टेट आउटब्रेक रिपोर्टिंग सिस्टम (सोर्स) पर आउटब्रेक रिपोर्टिंग एवं रोगियों की लाइन लिस्ट भी अनिवार्य रुप से सोर्स पोर्टल पर ही अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाये। आउटब्रेक प्रारम्भ होने पर पर्याप्त अवधि तक प्रभावित क्षेत्र में रैपिड रिस्पाँस टीम (आर0आर0टी0) द्वारा भ्रमण किया जायेगा, जिसमे एपिडेमियोलॉजिस्ट, पैथोलाजिस्ट/प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ/फिजीशियन आवश्यकतानुसार सम्मिलित होंगे, परन्तु जिला इपिडेमियोलॉजिस्ट अनिवार्य रुप से आर0आर0टी टीम में सम्मिलित रहेंगे।

4– किसी भी आउटब्रेक में भ्रमण के दौरान जिला इपिडेमियोलॉजिस्ट द्वारा इन्डेक्स केस, प्राइमरी व सेकण्डरी केस ज्ञात करना एवं प्रभावित क्षेत्र का Longitude, Latitude भी ज्ञात करना तथा प्रतिदिन के आधार पर रोगियों की लाइनलिस्ट (जो कि भ्रमण के दौरान एपिडेमियोलॉजिस्ट द्वारा सम्पूर्ण सूचनाओं सहित हाऊस–टू–हाऊस, एक्टिव केस सर्च में शामिल हेल्थ वर्कर के सहयोग से एकत्र की जायेगी) जो कि सोर्स पोर्टल पर अपडेट/अपलोड की जायेगी।प्रत्येक आउटब्रेक में कुल रोगियों के न्यूनतम 10 प्रतिशत के नमूने प्रयोगशाला पुष्टि हेतु लेना अनिवार्य है।

5– जिला इपिडेमियोलॉजिस्ट द्वारा उपलब्ध कराई गई लाईन लिस्ट की इन्ट्री सोर्स पोर्टल पर ऑन–लाईन आई0डी0एस0पी0 के अन्तर्गत तैनात जिला डाटा इन्ट्री ऑपरेटर द्वारा जिला डाटा मैनेजर की निगरानी में किया जायेगा तथा सोर्स पोर्टल पर अपलोड की जाने वाली समस्त सूचनाओं का उत्तरदायित्व जिला डाटा मैनेजर का होगा।

6– अन्तिम रोगी के रोग प्रारम्भ होने की तिथि से रोग के 02 उदभवन काल (इन्क्यूबेशन अवधि) के बाद ही आउटब्रेक समाप्त कर, सोर्स पोर्टल पर एपिडेमियोलॉजिकल एनालिसिस सहित (Closing Report) आउटब्रेक समाप्ति (Close)की रिपोर्ट की जायेगी।

7– दैनिक रुप में उक्त समस्त कार्यों का अनुश्रवण जिला सर्विलेन्स अधिकारी, आई0डी0एस0पी0 द्वारा किया जायेगा तथा समस्त कार्यों की सूचना दैनिक रुप से मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

sandeep_com1

8— सोर्स पोर्टल एक सार्वजनिक पोर्टल है, कोई भी नागरिक इस पोर्टल से संक्रामक रोगों की सूचना प्राप्त कर सकता है, इस हेतु जनसामान्य को किसी भी आई0डी0/पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होगी। पोर्टल पर आउटब्रेक दर्शाने के बाद आउटब्रेक न ही हटाया जा सकेगा और न ही जनपद स्तर से बदला जा सकेगा।

9— अतः अतिसावधानी पूर्वक सूचनायें एकत्र कर समीक्षा के उपरान्त ही अपलोड की जायें। संक्रामक रोग एवं आउटब्रेक के रोग का नाम बदलने का अधिकार राज्य सर्विलेन्स इकाई, आई0डी0एस0पी0 के पास सुरक्षित रहेगा। सम्बन्धित आउटब्रेक का नाम बदलने हेतु राज्य सर्विलेन्स इकाई, आई0डी0एस0पी0 को अनुरोध करना होगा एवं सम्बन्धित समस्त तथ्यों को स्पष्ट करने तथा अपनी एपिडेमियोलॉजिकल रिपोर्ट में रोग के नाम बदलने का आधार स्पष्ट करना होगा।

10— जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक में आई0डी0एस0पी0 पोर्टल पर रिपोर्ट किये हुये आउटब्रेक एवं रिपोर्टिंग की स्थिति की भी समीक्षा की जाये (सरकारी एवं निजी दोनों की)।

11— मण्डलीय अपर निदेशक,चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,स्तर से भी उक्त कार्यक्रम की समीक्षा नियमित रुप से की जायेगी। जनपदों में होने वाले किसी भी आउटब्रेक की रिपोर्टिंग मात्र आई0डी0एस0पी0 एवं सोर्स से ही की जायेगी, अन्य किसी भी स्रोत से आउटब्रेक की रिपोर्टिंग मान्य नहीं होगी।

12— आई0डी0एस0पी0 कार्यक्रम में तैनात जिला इपिडेमियोलॉजिस्ट, जिला डाटा मैनेजर एवं जिला डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य कार्यक्रम में नहीं लगाया जायेगा और न ही कहीं सम्बद्ध किया जायेगा।

उपरोक्त दिशा—निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(वी0 हेकाली झिझोमी)
सचिव।

संख्या—809 (1)/पाँच—5—2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उ0प्र0।
4. अपर परियोजना निदेशक, यू0पी0एच0एस0एस0पी0, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान, इन्दिरा नगर लखनऊ।
5. निदेशक, प्रशिक्षण, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान, इन्दिरा नगर लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
7. अपर निदेशक, मलेरिया/वी0बी0डी0, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. समस्त जिला सर्विलेन्स अधिकारी, आई0डी0एस0पी0, उ0प्र0।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वी0 हेकाली झिझोमी)
सचिव।

sandeep_com1